पंचायत निर्वाचन
रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए
ई.व्ही.एम. से मतगणना

यह पावरवाईट प्रजेन्टेशन मतों की गणना के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। इस संबंध **म.प्र. निर्वाचन नियम 95 के** अध्याय 10 एवं रिर्टनिंग आफिसर के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय 24 एवं 25 के नियम /प्रावधान एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशो का अध्ययन करें।

डॉ. अजय काले
डॉ. समीरा नईम

मतगणना केन्द्र का निर्धारण

- जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ई. व्ही.एम. के मतों की गणना हेतु मतगणना केन्द्र का निर्धारण विकासखण्ड मुख्यालय पर किया जायेगा।

- मतगणना केन्द्र हेतु भवन का निर्धारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति में पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन यंत्री (लो.नि.वि.), रिटर्निंग ऑफिसर और अनुविभागीय दण्डाधिकारी सदस्य होंगे।

मतगणना केन्द्र में व्यवस्थाए

- उपयुक्त मतगणना हॉल
- अस्थायी स्ट्रांगरूम
- डी.एम.एम. की सीलिंग हेतु हॉल
- प्रेक्षक कक्ष
- सम्पर्क कक्ष
- मीडिया कक्ष
- टेबुलेशन कक्ष
- जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष
- रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष
  - कोविड प्रोटोकॉल अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ।
- मतगणना स्थल पर आवश्यकता अनुसार बेरीकेडिंग एवं सुरक्षा व्यवस्थाएँ।
- पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान

- अस्थायी स्ट्रांगरूम और मतगणना रूम एक ही परिसर में होना चाहिए। इससे अस्थायी स्ट्रांगरूम से मतगणना टेबल तक कंट्रोल यूनिट को सुरक्षित पहुंचाने में सुविधा होगी।
- प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर एक सम्पर्क कक्ष, एस.टी.डी. सुविधायुक्त टेलिफोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर आदि से सुसज्जित होना चाहिए।
- प्रत्येक मतगणना हॉल में मतगणना टेबल के आस–पास अवरोधक/ पार्टीशन जाली लगाई जाये, जिससे मतगणना हॉल में मतगणना अभिकर्त्ता व्यवधान उत्पन्न न कर पाये।

मतगणना के राऊण्ड, सब–राऊण्ड एवं मतगणना टेबलों का निर्धारण

- विकासखण्ड मुख्यालय पर मतगणना जनपद पंचायत के वार्डों (JPW) को आधार बनाकर की जायेगी। प्रत्येक जनपद वार्ड के लिए एक मतगणना टेबल लगाई जायेगी।
- प्रदेश में जनपद पंचायतों में वार्डों की अधिकतम संख्या 25 है। इस प्रकार एक विकासखण्ड में अधिकतम 25 टेबल लगाई जा सकेंगी।
- एक मतगणना हॉल के लिए अधिकतम 14 टेबल लगाई जा सकेंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक नियुक्त होंगे।
- प्रत्येक मतगणना हॉल के लिए एक रिर्टनिंग ऑफिसर / सहायक रिर्टनिंग ऑफिसर को प्रभारी नियुक्त किया जायेगा।

- मतगणना टेबल पर जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य को प्राप्त मतों की गणना एक साथ की जायेगी।
- मतगणना राऊण्ड अनुसार अपने नियत समय पर प्रारंभ की जायेगी। एक बार मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद मतगणना कार्य समाप्ति तक निरंतर जारी रहेगी।

मतगणनाकर्मियों की व्यवस्था

- प्रत्येक मतगणना हॉल का प्रभारी रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होगा।
- मतगणना हेतु मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जायेगी।
- प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और दो गणना सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
- इसके साथ ही प्रेक्षक, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की टेबलों पर भी एक–एक गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
- 20 प्रतिशत रिज़र्व कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी।
- डी.एम.एम. को सील करने के लिए सीलिंग कक्ष का प्रभारी तहसीलदार से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक सीलिंग टेबल पर दो कर्मचारी (सीलिंग प्रभारी और सीलिंग सहायक) नियुक्त किये जायेंगे।

- जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए सारणीकरण की कार्यवाही करने के लिए पृथक–पृथक टेबल लगाई जायेंगी।
- सारणीकरण के लिए प्रत्येक टेबल पर दो कर्मचारी (सारणीकरण प्रभारी और सारणीकरण सहायक) लगाये जायेंगे।
- अस्थायी स्ट्रांगरूम से मतगणना टेबल तक कंट्रोल यूनिट पहुंचाने के लिए प्रत्येक मतगणना हॉल हेतु एक प्रभारी अधिकारी और अधिकतम पांच सहायक कर्मचारी लगाये जायेंगे।
- मीडिया कक्ष के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। उक्त अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक संख्या में सहायक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जायेगी।
- मतगणना में लगाये गये समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को सघन रूप से भली–भांति प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण पॉवर–पाईंट पर प्रायोगिक होना चाहिए।

मतगणनाकार्मिकों का रेण्डमाईज़ेशन

- मतगणनाकर्मियों की नियुक्ति एवं रेण्डमाईजेशन का कार्य एन आई सी द्वारा विकसित सी ई एम एस सॉफटवेयर के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाऐगी।
- गणना पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों को मतगणना टेबल का आबंटन गणना तिथि को प्रातः 6:00 बजे रेण्डमाईज़ेशन के द्वारा किया जायेगा।
- रेण्डमाईज़ेशन की प्रक्रिया प्रातः 7:00 बजे तक पूर्ण हो जाये ताकि गणना प्रक्रिया के लिए मतगणना कार्य में निर्धारित स्थानों पर आसानी से पहुंच सकें।
- रेण्डमाईज़ेशन प्रक्रिया की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी कराई जायेगी।
- गणना अधिकारी को निर्वाचन क्षेत्र तथा उसे दी गई टेबल की जानकारी मतगणना के दिन मतगणना स्थल पर उनके आने के समय ही विदित हो।
- समस्त मतगणना स्टाफ को रिटर्निंग ऑफिसर फोटोयुक्त पहचान–पत्र जारी करेंगे।

मतगणना अभिकर्त्ता

- जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी, जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगाई जाने वाली मतगणना टेबलों की संख्या के बराबर मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेंगे।
- जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी, जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगाई जाने वाली मतगणना टेबलों की संख्या के बराबर मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेंगे।
- अभ्यर्थियों को मतगणना हेतु निर्धारित टेबलों की संख्या की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी जायेगी।
- प्रत्येक पद का अभ्यर्थी सारणीकरण टेबल के लिए भी अपना एक अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा।
- डी.एम.एम. की सीलिंग कक्ष के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी अपना एक सीलिंग अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेंगे।

- अभ्यर्थी, मतगणना अभिकर्त्ताओं और सीलिंग अभिकर्त्ताओं को मतगणना केन्द्र में प्रवेश परिचय–पत्र के आधार पर दिया जायेगा। परिचय–पत्र रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी किये जायेंगे। परिचय–पत्र हेतु अभ्यर्थियों को अभिकर्त्ताओं की सूची उनके दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित मतगणना दिवस से पांच दिन पूर्व सायः 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगी। आवश्यकता होने पर रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अभिकर्त्ता के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
- अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन और मतगणना अभिकर्त्ता मतगणना हेतु नियत समय से आधा घण्टा पूर्व तक मतगणना केन्द्र में प्रवेश कर सकेंगे।

- प्रत्येक राऊण्ड की मतगणना समाप्ति उपरांत जनपद पंचायत सदस्य के पद के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्त्ता को मतगणना केन्द्र से बाहर जाना होगा। जिला पंचायत सदस्य के पद के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्त्ता केवल उसी स्थिति में मतगणना केन्द्र पर रह सकेंगे, जबकि अगले राऊण्ड में भी उनसे सम्बंधित मतदान केन्द्रों की मतगणना की जा रही हो।
- मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में मंत्री और मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों, सांसद, विधायक आदि को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
- मतगणना अभिकर्त्ताओं को केवल उनके लिए निर्धारित मतगणना टेबल पर ही बैठने की अनुज्ञा होगी। मतगणना अभिकर्त्ता, मतगणना हॉल और मतगणना केन्द्र में इधर–उधर नहीं घूम सकेंगे।

मीडिया व्यवस्था

- मतगणना केन्द्र पर पर्याप्त लम्बाई–चौड़ाई का एक कक्ष मीडिया सेन्टर के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- मीडिया कक्ष में फोन, फैक्स, डाटा कम्यूनिकेशन की सुविधा होना चाहिए।
- मीडिया सेन्टर का प्रभारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को बनाना चाहिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत मीडिया पर्सन को ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी।
- मतगणना हॉल में मतगणना टेबल पर रखी गई कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वर्जित होगी।
- मतगणना केन्द्र पर मीडियाकर्मियों को कैमरा और मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मी मोबाईल फोन का उपयोग केवल मीडिया कक्ष में ही कर सकेंगे। मतगणना हॉल में मीडियाकर्मियों को भी मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी

मतगणना केन्द्र में प्रवेश व्यवस्था

मतगणना केन्द्र में केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी

- गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक
- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति
- निर्वाचन के सम्बंध में कर्त्तव्यारूढ लोक सेवक
- अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता और मतगणना अभिकर्त्ता
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मी

- मतगणना कार्य में लगाये गये सभी अधिकारी/कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा परिचय पत्र जारी किये जायेंगे।
- मतगणना केन्द्र पर प्रवेश केवल परिचय पत्र के आधार पर ही होगा।
- मतगणना केन्द्र और मतगणना हॉल पर तीन–स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।
- मतगणना केन्द्र में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति की पुलिसकर्मियों द्वारा तलाशी ली जानी चाहिए। महिलाओं की तलाशी महिला पुलिसकर्मी द्वारा ली जानी चाहिए।
- मतगणना केन्द्र में मोबाईल, कैमरा, हथियार, ब्लेड, कैंची, ऑलपिन, पान, बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू–गुटके के पाऊच, माचिस, लाईटर, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, खाने–पीने का सामान आदि ले जाना वर्जित होगा।

- मतों की गणना के दिन केवल पहचान–पत्र धारक अभिकर्ताओं को ही गणना हाल के अंदर जाने की अनुज्ञा दी जायेगी।
- प्रत्येक गणना अभिकर्ता के पास एक बिल्ला होना चाहिए, जिससे यह मालूम हो सके कि वह किसका अभिकर्ता है और किस क्रम संख्या की टेबल पर वह मतगणना को देखेगा।
- आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पद ''निर्वाचनों के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक'' के अंतर्गत सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं। ऐसे अधिकारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सादे वस्त्रों में, सामान्य नियमानुसार गणना हाल के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि आप उन्हें कानून और व्यवस्था बनाये रखने या इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन से अंदर बुलाने का निर्णय न लें।
- अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के साथ किसी भी सुरक्षाकर्मी को, यदि कोई हो, गणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाये।

भोजन एवं स्वल्पाहार व्यवस्था

- मतगणना केन्द्र पर मतगणना में लगे हुए कर्मचारियों तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था की जायेगी।
- अभ्यर्थी को अपने मतगणना अभिकर्त्ताओं के लिए स्वल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था करने हेतु अनुमति दी जायेगी

मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व चेतावनी

- मतगणना प्रारम्भ करने के पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों, उनके अभिकर्त्ताओं और मतगणना स्टॉफ को मतगणना की गोपनीयता बनाये रखने के लिए यह चेतावनी मतगणना हॉल में पढ़ कर सुनाई जायेगी

"ऐसा हर अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी मतगणना करने से सम्बद्ध किसी कर्त्तव्य का पालन करता है, मत की गोपनीयता को बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिये प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिये संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा"

- मतगणना के समय केवल ई.व्ही.एम. की कंट्रोल यूनिट ही ऐसे मतदान केन्द्र पर हुए मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित करने के लिये अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है।
- कंट्रोल यूनिट को केरिंग बॉक्स से निकालकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह वही कंट्रोल यूनिट है जो मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गई है।
- मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट के साथ उस मतदान केन्द्र से संबंधित प्ररूप 15क जहॉ ई व्ही एम से निर्वाचन कराया जायेगा में रिकार्ड किये गये मतों का सुसंगत लेखा भी मतगणना टेबलों पर प्रस्तुत किया जायेगा।

- ई.व्ही.एम. की किसी कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की मतगणना करने से पूर्व मतगणना मेजों पर उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को बाहरी स्ट्रिप सील, विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील की जांच करने के लिये और अपना स्वयं का इस बात का समाधान करने के लिये अनुमति दी जायेगी कि मुद्राएं अक्षुण्ण हैं और कंट्रोल यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
- यदि किसी कंट्रोल यूनिट के साथ छेड़छाड होना पाया जाता है, तो उस मशीन में रिकार्ड मत गिने नहीं जायेंगे और मामला राज्य निर्वाचन आयोग को उसके निर्देशों के लिये रिपोर्ट किया जायेगा।
- ग्रीन पेपर सील पर की उस क्रम संख्या का मिलान, प्ररूप–15क की मद 7 में पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार किये गये ग्रीन पेपर सील लेखे में दी गई क्रम संख्या के साथ किया जायेगा।

परिणाम अभिनिश्चित करना

- यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ग्रीन पेपर सील अक्षुण्ण है और कंट्रोल यूनिट वही है, जो मतदान केन्द्र को दी गयी थी और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है, तो उसमें रिकार्ड किये गये मतों को गिना जायेगा। इस प्रयोजन के लिए मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–
- कंट्रोल यूनिट के पिछले कम्पार्टमेंट में लगे पॉवर स्विच को जब ''ऑन'' स्थिति में किया जायेगा, तब कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन अनुभाग में की ''ऑन'' बत्ती हरी हो जायेगी।
- ''रिजल्ट सेक्शन'' के भीतरी आवरण के ऊपरी छिद्र के नीचे स्थित रिजल्ट–1 बटन के ऊपर की ग्रीन पेपर सील छेद दी जायेगी।
- फिर ''रिजल्ट–1'' बटन को, जो कि पीले रंग में परिणाम खण्ड में स्थित है, दबाया जाएगा।
- ''रिजल्ट–1'' बटन को इस प्रकार दबाने पर मतदान केन्द्र के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये रिकार्ड किये गये मतों को निम्नानुसार प्रदर्शित करेगा :–

Result.

SL No - P45284
DMM - P45284

Poll Result
PDT 27-06-14

- Result

PST 08-00-00
PET 03-00-00

Number of Posts 2

- Result

Total voters 450

Post 1

- Result

Polled Votes 450

Under Votes 0

- Result

Cands 4
Seats 1

Candidate – 01
Votes - 119

- Result

Candidate - 02
Votes - 170

Candidate - 03
Votes - 155

- Result

Candidate - 04
Votes - 6

Post 2

- Result

Polled Votes 447

Under Votes 03

- Result

Cands 3
seats 1

Candidate - 01
Votes - 247

- Result

Candidate - 02
Votes - 195

Candidate - 03
Votes - 5

- Result

Unfinished voters - 03

End

- उक्त परिणाम, जो अभ्यर्थीवार क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित किया गया है, 18क, भाग एक (जनपद पंचायत सदस्य) एवं 19क के भाग–एक (जिला पंचायत सदस्य) में गणना का परिणाम में मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा लिखा जायेगा।
- यदि अपेक्षित हो तो अभ्यर्थियों उनके अभिकर्ताओं को उक्त परिणाम को लिखने में समर्थ बनाने के लिए ''रिजल्ट–1'' बटन को पुनः दबाया जा सकता है।
- परिणाम को लिख लेने के पश्चात् अनुभाग का आवरण बंद किया जायेगा और कंट्रोल यूनिट को बंद कर दिया जायेगा।
- मतगणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना परिणाम के प्ररूप 18क के भाग–एक एवं 19क के भाग–एक को सम्यक् रूप से भरने, उस पर हस्ताक्षर करने और अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं से हस्ताक्षरित करवाने के पश्चात् उस प्ररूप की मूल प्रति रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपेगा। कार्बन कॉपी गणन अभिकर्त्ताओं को देकर पावती प्राप्त करेगा।

- रिटर्निंग ऑफिसर अपना यह समाधान करने के पश्चात् प्ररूप को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा कि वह समुचित रूप से भरा गया है और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है।
- रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रकार प्रतिहस्ताक्षरित किया गया प्ररूप उस अधिकारी को भेजा जायेगा, जो गणना के परिणाम को 18क के भाग–दो एवं 19क के भाग–दो को तैयार करने हेतु टैबुलेशन (सारणीकरण) का कार्य करेगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर, जनपद पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–18क भाग–2 में सारणीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराने के बाद, प्ररूप–22क में अंतिम परिणाम पत्र तैयार कर परिणाम की घोषणा करेगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर, जिला पंचायत सदस्य के लिए प्ररूप–19क भाग–2 में सारणीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराने के बाद, प्ररूप–19क भाग–3 तैयार करने लिए उसे जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा।

पुनर्मतगणना

- सामान्यतः ई.व्ही.एम. में रिकार्ड किये गये मतों की पुनर्गणना का प्रश्न ही नहीं होगा। ई.व्ही.एम. द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत वैध मत है और उसकी वैधता के बारे में या अन्यथा कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर सम्पूर्ण मतगणना की समाप्ति के पश्चात् प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये कुल मतों की संख्या, जो अन्तिम परिणाम पत्र प्ररूप 22क में जनपद पंचायत सदस्य का, 23क में जिला पंचायत सदस्य का अभिलिखित है, बताते हुए परिणाम धोषित करेगा। घोषणा कर दिये जाने के पश्चात् कोई अभ्यर्थी या उसके मतगणना अभिकर्ताओं में से कोई भी, सभी या किन्हीं मतदान केन्द्रों पर रिकार्ड किये गये मतों की पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन उन आधारों का कथन करते हुए कर सकेगा, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है

- रिटर्निंग ऑफिसर वह निश्चित समय घोषित करेगा, जिस समय तक वह पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करेगा। जब पुनर्गणना के लिये ऐसा कोई आवेदन कर दिया जाता है, तब रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, पुनर्गणना के लिये बताये गये आधारों पर विचार किया जायेगा और उन पर विनिश्चय किया जायेगा।
- यदि आवेदन युक्तियुक्त है, तो वह उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या यदि वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, तो वह उसे पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा।
- रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- यदि किसी मामले में पुनर्गणना का आवेदन पूर्णतः या भागतः मंजूर कर लिया जाता है, तो रिटर्निंग ऑफिसर मतों की पुनर्गणना का निर्देश देगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या घोषित कर दिये जाने के पश्चात् परिणाम पत्र पूर्ण किया जायेगा और उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब रिटर्निंग ऑफिसर परिणाम पत्र को पूरा तैयार कर लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें, उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके किसी मतगणना अभिकर्ता को पुनर्गणना की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

निर्वाचन परिणाम की घोषणा

- किसी निर्वाचन क्षेत्र की विवरणी तैयार हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) या प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) उसे अपने हस्ताक्षर करके, प्रमाणित करेगा तथा जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मत मिले हैं, उसे निर्वाचित घोषित करेगा।
- यदि किन्हीं दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हुए हों तो नियम–82 में दर्शायी गई विधि से रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) उन अभ्यर्थियों के बीच लाट निकालकर विनिश्चय करेगा अर्थात् जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकले, यह मानते हुए कि उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है, उसे निर्वाचित घोषित करेगा।
- निर्वाचित घोषित अभ्यर्थी को प्ररूप–25 में निर्वाचन प्रमाण–पत्र, यदि वह मौके पर उपस्थित हो, तो हाथों–हाथ दिया जाए, अन्यथा बाद में भेजा जाए।

मतगणना के पश्चात् डी.एम.एम. को सीलबंद किया जाना

- ई.व्ही.एम. की कंट्रोल यूनिट में एक डी.एम.एम. (डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल) फिक्स होता है, जिसमें मतदान का डाटा रिकार्ड होता है। मतगणना उपरांत डी.एम.एमको कंट्रोल यूनिट से निकाल कर सीलबंद कर सुरक्षित रखा जाना होगा।
- सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं और यथास्थान हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। सीलिंग की कार्यवाही की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जायेगी।

डी.एम.एम. की सीलिंग के लिए सामग्री

- सेल्फ एधेसिव डी.एम.एम. सील (30 से.मी. X 3 से.मी.)
- छोटी प्लास्टिक की डिब्बी (साईज़ 4.5 से.मी- X 4.0 से.मी. 2.0 से.मी.)
- डी.एम.एम. रखी हुई छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को सील बंद करने का लिफाफा।
- मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी (साईज़ 10 से.मी. X 6.5 से.मी. X 2.5 से.मी.) जिसमें कंडिका–3 में वर्णित लिफाफा रखा जायेगा।
- मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु गम एड्रेस टेग।
- बड़े आकार का प्लास्टिक का डिब्बा (साईज़ 30 से.मी. X 12.5 से.मी. X 7.5 से.मी.)

- बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे के ढ़क्कन पर चिपकाने हेतु गम एड्रेस टेग।
- लोहे की पेटी (साईज. 25 इंच X 22 इंच X 18 इंच)
- बड़ी रबर बैन्ड।
- ट्रान्सपरेंट सेलो टेप लगभग 3 इंच चौड़ा।
- लिफाफे एवं लोहे की पेटी को सीलबंद करने के लिए चपड़ी, मोमबत्ती, माचिस, धागा आदि सामग्री।

डी.एम.एम. को सील करने की प्रक्रिया

- कंट्रोल यूनिट से डी.एम.एम. को निकाल कर एक छोटी प्लास्टिक की डिब्बी में बंद किया जायेगा।
- डी.एम.एम. सील के निर्धारित स्थान पर मतगणना से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज कर, रिक्त भाग पर अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यदि उपस्थित हो, तो प्राप्त किये जायेंगे।
- डी.एम.एम. सील के पृष्ठ भाग से "डी" स्टीकर को हटाकर उसे छोटी प्लास्टिक की डिब्बी पर चिपकाने के बाद डी.एम.एम. सील को डिब्बी के चारों ओर इस तरह लपेटा जायेगा कि अग्र भाग के "एम" स्थान पर पृष्ठ भाग के अंतिम सिरे पर अंकित "एम" आकर चिपक जाये।
- अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बी के चारों ओर रबरबैण्ड लपेटा जायेगा

- इस प्रकार तैयार की गई सीलबंद छोटी प्लास्टिक की डिब्बी को एक लिफाफे में बंद किया जायेगा, लिफाफे पर मतदान केन्द्र एवं मतगणना से संबंधित प्रविष्टियां दर्ज की जायेंगी। उक्त लिफाफे को चपड़ी से सीलबंद कर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (सीलिंग) द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- इस प्रकार तैयार किये गये लिफाफे को मध्यम आकार की प्लास्टिक की डिब्बी में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक की डिब्बी के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र से संबंधित प्रविष्टियां गम एड्रेस टेग की सहायता से चिपकाई जायेंगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बी के चारों ओर सेलो टेप चिपकाया जायेगा।

- इस प्रकार तैयार की गई मध्यम आकार की 10 प्लास्टिक की डिब्बियों को बड़े आकार के प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जायेगा। इस प्लास्टिक के डिब्बे पर गम एड्रेस टेग की सहायता से निवार्चन क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र के विवरण दर्ज किये जायेंगे। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस डिब्बे के चारों ओर सेलो टेप चिपकाया जायेगा।
- एक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभी डिब्बे एक लोहे की पेटी में रखे जायेंगे। लोहे की पेटी को ताला लगाकर सीलबंद किया जायेगा। सीलबंद पेटी को कोषालय में स्ट्रांगरूम में सुरक्षित रखा जायेगा।

अन्य निर्वाचन कागज पत्रों को सीलबंद करना

मतदान मशीनों के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागज पत्र हैं, जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित अभिरक्षा में सुरक्षित किया जाना तथा भण्डारण किया जाना अपेक्षित हैं।

- अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
- प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
- अभ्याक्षेपित (चुनौती) मतों की सूची
- अन्धे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं
- मतपत्र लेखा और मतगणना परिणाम पत्रक

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा

- निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात् तुरन्त उसी दिन डी.एम.एम. एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में सरकारी कोषागार/उपकोषागार में दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
- प्रत्येक सन्दूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार सहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक सन्दूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं जिला निर्वाचन अधिकारी या आपके द्वारा इस प्रयोजन के लिये नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

THANKS